उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

दिनांक : 16 जनवरी, 2014

संख्या :07–विनियम / 2014–05–विनियम / 88 (टीसी)

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27–12–2013 को आहूत अपनी 103वीं बैठक में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित) में सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु 40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (विद्युत / यान्त्रिक) की कुल 10 वर्ष की अर्ह सेवा में 4 वर्ष की शिथिलता चयन वर्ष 2013–14 हेतु प्रदान की गयी।

2. निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में जिनमें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर पर निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में अन्य पावर सेक्टर के निगमों यथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में भी उसका प्रभाव पड़ता हो, के प्रकरणों में भविष्य में कोई भी प्रस्ताव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने से पूर्व उसका परीक्षण इन पावर सेक्टर कम्पनियों में कार्यरत निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन) की समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उनकी आख्या के साथ प्रेषित किया जाये।

3. संगत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
अध्यक्ष

संख्या : 07–(1)–विनियम / 2014–05–विनियम / 88 (टीसी) तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / केस्को, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनकी पत्रावली सं0–12813 / सी0ई (एच0) में प्रस्तुत किये गये निदेशक मण्डल हेतु टिप्पणी के सन्दर्भ में।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक–10 / पाकालि / बैठक(103) / 2014 दिनांक 10–01–2014 के सन्दर्भ में।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।

16.1.14

(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव